

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।

कम - 170

दिनांक - 14-2/19

निविदा सूचना

डीलक्स आगार कार्यशाला, जयपुर में संचालित वोल्वो एवं स्कैनिया वाहनों के ट्यूबलैस टायरों की गरम्मत का कार्य करवाने के लिए दिनांक 27.02.2019 को मध्यान्ह 03.00बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट <http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> एवं राज्य उपापन पोर्टल पर देख सकते हैं। निविदा फॉर्म एवं प्रपत्र दिनांक 27.02.2019 को दोपहर 02.00बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान डीलक्स आगार कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

(केएस0/मीना)

मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।
डीलक्स आगार कार्यशाला परिसर में वोल्वो एवं स्कैनिया वाहनों के टयूबलैस टायरों की
मेन्टीनेन्स/मरम्मत कार्य हेतु निविदा-फॉर्म

1	आवेदनकर्ता का नाम	
2	आवेदनकर्ता का स्थाई पता	
3	आधार नंबर/जी0एस0टी0 रजि0 नंबर	
4	आवेदनकर्ता का दूरभाष/मोबाईल नंबर	
5	आवेदनकर्ता का पत्र व्यवहार का पता	
6	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फार्म हेतु निगम कोष में जमा करायी गयी राशि 200-00 रु की रसीद संख्या/दिनांक	
7	वोल्वो/मर्सडीज/स्कैनिया वाहनों के टयूबलैस टायरों की मरम्मत कार्य हेतु प्रस्तावित दर	
	अ. वाहन में फिट पंचर टायर को वाहन से खोलना, पंचर बनाना एवं टायर को पुनः फिट करने के कार्य की दर	
	ब. वाहन की डिकी में उपलब्ध स्पेयर पंचर टायर बनाकर लगाना व तैयार कर रखना	
	स. वाहनों के चारो व्हील के टायरों को रोटेशन करना व टायरों की साईड बदली करना	
	द. वाहनों के समस्त आगे-पीछे के टायरों व स्टेपनी सहित समस्त टायरों की हवा चैक करना	
	य. आर0सी0 टायर व नया टायर वाहन में बनाकर फिट करने की दर	

निविदा की शर्तें-

- इस कार्य के लिये प्रत्येक पारी में आवश्यकतानुसार/पर्याप्त श्रमिक रखने होंगे, जिसका भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
- ठेकेदार को वर्णित कार्य निविदादाता को फार्म के साथ नकद 8,000-00रुपये (आठ हजार रुपये मात्र) बयाना राशि के रूप में जमा कराना आवश्यक होगा। बिना बयाना राशि के निविदा निरस्त समझी जावेगी।
- ठेकेदार को हेतु सामग्री निगम द्वारा दी जावेगी जबकि इस कार्य हेतु समस्त प्रकार के विशेष औजार ठेकेदार को अपने खर्च पर उपलब्ध कराने होंगे।
- ठेकेदार/फर्म को किये गये कार्य का रिकार्ड एक पंजिका में संधारित करना होगा, जिसका प्रमाणिकरण प्रबन्धक (संचालन)/संबंधित शिफ्ट प्रभारी से कराना होगा।
- फर्म/ठेकेदार को देय भुगतान में से नियमानुसार आयकर, ई0एस0आई व सी0पी0एफ0 की कटौती कर भुगतान किया जावेगा तथा अन्य किसी प्रकार के टैक्स देयता का दायित्व फर्म/ठेकेदार का ही रहेगा।
- निविदादाता द्वारा निगम के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायिक प्रकरण/वाद दायर किया हुआ होने की स्थिति में आवेदन-पत्र रवीकार्य नहीं होगा।
- फर्म के देयक से नियमानुसार उसके कार्यरत श्रमिकों की सीपीएफ/ईएसआई/आयकर व अन्य देय टैक्स की नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा तय दरों पर कटौती की जावेगी। फर्म के भुगतान पर देय जी0एस0टी0 एवं शेष अन्य किसी प्रकार के कर के भुगतान का दायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म का ही रहेगा।

(2)

8. उक्त निविदा/अनुबन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।
9. फर्म/टेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा शिकायत आने पर अनुबन्ध बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

घोषणा

मैं / हम घोषणा करता / करते हूँ / है कि आवेदन-पत्र में अंकित शर्तों/प्रावधान हमें स्वीकार हैं, जिन्हें पूर्णतः पढ़कर एवं समझकर स्वीकारोक्तिस्वरूप हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर,

(आवेदनकर्ता)